

# उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

कुमादेवी बनाम रामकण

मु. सं. ११/०७

नम्बर व तारीख

अहकाम जो इस हुक्म की तामील

में जारी हुए

भाज पत्रावली पेश हुई। वकील

पक्ष उपस्थित। वकील कदी ने

द्वि किश कि वादिभा द्वारा धाराजी

विद्वम किया जा चुका है तथा वाद

चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादिभा का वाद नहीं चलाने

के कारण स्वारिज किश जाता है। पत्रावली

सुमार से व वाद तमभील दारिल

हो।

धोदश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, महवा